MIOST-URL8W7

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(31) ग्राविवि–5 / सां. / PMAY-G / Emp. Com. / 2018–19 दिनांक 4 जून, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),
समस्त, राजस्थान।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018–19 के अनुमोदन की एम्पावर्ड कमेटी मीटिंग दिनांक 19.03.2018 की अनुपालना बाबत्।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक एफ 27(109) ग्राविवि / ग्रुप–5 / S.N. / Annual Action Plan / 2018–19 दिनांक 08.05.2018।

सन्दर्भः–ग्रामीण विकास मंत्रालय का पत्रांक G-20011/01/2015-RH (A/c)-Part. III दिनांक 21.05.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2018–19 की के अनुमोदन की एम्पावर्ड कमेटी मीटिंग दिनांक 19.03.2018 की मीनिट्स की अनुपालना में निम्नानुसार कार्रवाई करवाये जाने का श्रम करे जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय को रिपोर्ट प्रेषित की जा सकेः–

1. SECC Remapping के कारण प्रभावित होने वाली दोनों ही ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाएं आयोजित कर ग्राम सभाओं में सम्बन्धित ग्राम पंचायत की रीमैपिंग के उपरांत अंतिम वरीयता सूची को वरीयता क्रमांक परिवर्तित किये बिना नई ग्राम पंचायत में संबंधित वर्ग में पूर्व वरीयता के अंत में जोड़ने का प्रस्ताव पारित कर भिजवाया जावें। (विभागीय पत्र दिनांक 23.05.2018)
2. पूर्व में वरीयता सूची के क्रम में आयोजित ग्राम सभाओं के कार्यवाही विवरण को आवाससॉफ्ट पर अपलोड किये जाने के निर्देश की पालना में अवशेष रहें कार्यवाही विवरण आवाससॉफ्ट पर 07 दिवस में अपलोड किये जावें। उल्लेखनीय है कि यह गतिविधि Performance Index में शामिल है।
3. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित आवास निर्माण के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वर्ष 2017–18 तक स्वीकृत आवासों को पूर्ण करवाने की सीमा 31 जुलाई, 2018 नियत कर माहवार लक्ष्य आवंटित किये गये है, के अनुसार आवासों को पूर्ण करवाया जावें। उल्लेखनीय है कि उक्त अवधि के आदिनांक 25,725 आवासों के द्वितीय निरीक्षण नहीं किये गये है। अतः निर्धारित समयावधि में आवासों को पूर्ण कराने हेतु उक्त 25,725 आवासों के द्वितीय निरीक्षण अनिवार्य रूप से करवाये जावें। (विभागीय पत्र दिनांक 25.05.2018)
4. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार स्थायी वरीयता सूची में यदि किसी वर्ग के अन्तर्गत सभी लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हो एवं ऐसे लाभार्थी जो कि विभिन्न कारणों से पात्र नहीं हो के नाम Remand Module से दर्ज कराने की कार्यवाही सम्पादित कर लक्ष्यों में वर्ग परिवर्तन के प्रस्ताव भिजवाना सुनिश्चित करावें।
5. जिलों द्वारा राज्य में पूर्व में प्रेषित सूचना के अनुसार 33,106 भूखण्डहीन पात्र परिवार अवगत कराये गये है जिनको न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान अनिवार्य रूप से नियमानुसार भूखण्ड आवंटित किये जावें। उल्लेखनीय है कि अभियान के दौरान निर्धारित लक्ष्यों में आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायतों के लिए आबादी भूमि सेट अपार्ट किया जाना भी शामिल है। अतः इसकी समीक्षा आप अपने स्तर से कर यदि कोई समस्या हो तो जिला कलक्टर के संज्ञान में लाकर अनिवार्य रूप से अभियान के दौरान सभी भूखण्डहीन पात्र परिवारों को भूखण्ड उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करवावें।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के क्रियान्वयन फ्रेमवर्क के अध्याय 3 के बिन्दु संख्या 3.4.5 में ग्राम पंचायत, ब्लॉक या जिले को एक इकाई मानकर Saturation दृष्टिकोण अपना सकते है। उल्लेखित है एवं इस बाबत् पूर्व में जिलों को अपने स्तर पर समीक्षा कर SAGY ग्रामपंचायतो, Rurban कलस्टरों, ODF ग्राम पंचायतों, Aspiration ब्लॉक एवं मिशन अन्त्योदया आदि के ग्रामों को Saturation करने हेतु निर्णय लिये जाने बाबत् निर्देशित किया गया है। अतः जिलो को प्राप्त एंव राज्य को आवंटित अतिरिक्त 70,000 लक्ष्यों में से जिलो को आवंटित होने वाले संभावित लक्ष्यों के मध्यनजर इस बाबत् समीक्षा कर अनिवार्य रूप से जिले में उपरोक्त योजना के ग्राम पंचायतों में से अधिक से अधिक ग्राम पंचायतो को Saturate किया जावें।
7. योजना के अन्तर्गत निर्धारित वर्गवार प्रावधान के अनुसार अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किये जावें।
8. विभागीय निर्देशों के अनुसार प्रोटोटाइप आवासों का निर्माण कर प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लिया जाना सुनिश्चित करावें।
9. महात्मा गांधी नरेगा से अनुमत 90 मानव दिवस का रोजगार, स्वच्छ भारत मिशन/महात्मा गांधी नरेगा से स्वच्छ शोचालय अनिवार्य रूप से लाभार्थी को उपलब्ध कराया जावें एवं अन्य योजनाओ से उपलब्ध कराये गये लाभ के साथ श्रम विभाग की योजना 'श्रमिक कार्ड' आदि के ब्यौरे के साथ अद्यतन प्रगति भी प्रेषित की जावें। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय द्वारा निर्धारित कन्वर्जेंस के अलावा अन्य योजनाओं से कन्वर्जेंस के मापदण्डों एवं देय परिलाभों का संक्षिप्त नोट भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
10. वरीयता सूची को Remand Module द्वारा अपात्र लाभार्थियो के नाम हटाकर अंतिम रूप दिया जावें।
11. योजना के प्रचार प्रसार हेतु इलेक्ट्रोनिक/प्रिंट मीडिया, आवास दिवस, सफलता की कहानियां की वीडियो फिल्म आदि के डोक्यूमेंट/फिल्म जिसमें जिले की Specific Best Practice भी शामिल हो, की सामग्री विभाग को प्रेषित करते हुए, तैयार कर जिले में सुरक्षित रखी जावें।
12. आधार सीडिंग का कार्य पूर्ण करवाया जावें। उल्लेखनीय है कि यह गतिविधि Performance Index में शामिल है।
13. ग्रामीण विकास मंत्रालय के **निर्देशानुसार IAY के आवासों पूर्ण करवाया जावें** एवं विभाग द्वारा चाही गयी सूचना जो कि **5 जून, 2018 तक मंत्रालय को भिजवायी जानी है,** इस संबंध में दिनांक 30.05.2018 को प्रभारी अधिकारी/एमआईएस मैनेजरो के साथ आयोजित वीडियों कॉन्फ्रेंस मे भी उक्त सूचना भिजवाये जाने हेत निर्देशित किया गया था, उक्त सूचना को आज ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। (विभागीय पत्र दिनांक 30.05.2018)
14. ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद हेतु जिले स्तर पर एक ही खाता खोला जावें तथा अन्य खातों को बन्द कर अवशेष राशि State Nodal Account में हस्तांतरित कराये जाने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(के.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ,कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. जिला कलक्टर समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(109) ग्राविवि/ग्रुप–5/S.N./Annual Action Plan/2018–19 जयपुर, दिनांक 08 मई, 2018

जिला कलक्टर,
जिला ,समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्ययोजना के बिन्दुवार कार्यवाही कराने बाबत्।
प्रसंग :– विभागीय समसंख्य पत्र दिनांक 06.03.2018।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना 2018–19 हेतु आयोजित बैठक दिनांक 19.03.2018 के संबंध में बिन्दुवार तय Timeline की प्रगति चाही गई है।

अतः वार्षिक कार्य योजना के एजेण्डा बिन्दुवार निम्नानुसार कार्यवाही संपादित कराना सुनिश्चित करावें:–

1. **सैक डाटा रिमैपिंग** –जिले में सैक डाटा रिमैपिंग के प्रकरणो को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया, जिला अजमेर व जयपुर से संशोधित प्रकरण अप्राप्त है। इस संबंध में दिनांक 27.04.2018 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशन में प्रशिक्षण भी आयोजित करवाया गया था। अतः बकाया रिमैपिंग के प्रकरण 10.05.2018 तक भिजवाना सुनिश्चित करे। (राजस्व ग्राम को सेन्सस कोड अनिवार्य रूप से अंकित करे)
2. **Finalisation of PWL** – आवाससॉफ्ट पर बकाया ग्राम सभा रिजोल्यूशन अपलोड करावें साथ ही दिनांक 16 से 30 अप्रैल 2018 तक आयोजित विशेष ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदित वर्गवार Excel प्रारूप में सूचना भिजवावे (पत्र दिनांक 01.05.2018)। साथ ही आवास प्लस एप पर जिओ टैग फोटो, पात्र परिवारो की जानकारी व अन्य सूचनाएं अपलोड कराकर दिनांक 05.06.2018 तक वरीयता सूची में नाम जोडने हेतु अंतिम सूची विभाग को उपलब्ध करावे जिससे उन्हें अंतिम निर्णय हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।
3. **लक्ष्यानुसार स्वीकृति जारी करना** –वर्ष 2018–19 के 143204 लक्ष्यों के विरूद्ध अभी तक 65122 स्वीकृतियां ही जारी हुई है, अतः शत प्रतिशत स्वीकृतियां व प्रथम किश्त दिनांक 31.05.2018 तक जारी करावें।
4. **स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराना** – वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के स्वीकृत आवासों में से अभी 1,69,999 आवास अपूर्ण/प्रगतिरत है, उक्त आवासों को संलग्न शीट में आवंटन लक्ष्यों के अनुसार जुलाई 2018 तक पूर्ण कराना सुनिश्चत करावें। साथ ही वर्ष 2018–19 की स्वीकृति जारी कर आवासों को 31.10.2018 तक संलग्न शीट अनुसार पूर्ण करावे।
5. **भूमि आवंटन** – योजनान्तर्गत जिलो से प्राप्त सूचना अनुसार 55,405 भूमिहीन लाभार्थियों में से 12,229 को ही भूमि आवंटन किया गया है, अतः अभियान चला कर बकाया भूमिहीन लाभार्थियों को नियमानुसार आवासीय भूखण्ड आंवटित कराना सुनिश्चत करे। उल्लेख है कि उक्त कार्यवाही न्याय आपके द्वार अभियान में संपादित की जावे।

6. **आधार सीडिंग** – लक्ष्यों के अनुरूप 31 मई 2018 तक शत प्रतिशत आधार सीडिंग करवाना सुनिश्चित करावें। उल्लेखनीय है कि आधार सीडिंग में कम प्रगति के कारण राज्य की समग्र प्रगति प्रभावित हो रही है।
7. योजना के दिशानिर्देश के अनुसार सांसद आदर्श ग्राम योजना, RURBAN, मिशन अन्त्योदय, Aspirational Block को Saturation दृष्टिकोण से उक्त ग्राम पंचायतो को प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य आवंटन कर Saturated करावें।
8. आईआईटी दिल्ली द्वारा तैयार प्रोटोटाइप डिजाइन मॉडल आवासों का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन हेतु प्रत्येक ब्लॉक में दो आवास निर्मित किये जावे।
9. योजना के लाभार्थियों को महात्मा गांधी नरेगा योजना से 90 अकुशल मानव दिवस अनुमत है, अतः शत प्रतिशत लाभार्थियों को 90 दिन का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जावे।
10. योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवारो को अन्य योजनाओं से कन्वर्जेंस के तहत एलपीजी गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, शुद्ध पेयजल, मनरेगा के कैटल शेड एवं भूमि सुधार/वृक्षारोपण इत्यादि सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध करायी जावे।
11. IAY Closure – ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, द्वारा योजना के आवासों को माह मार्च, 2018 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये है। इस सम्बन्ध में योजनान्तर्गत प्रगतिरत को माह जून, 2018 तक पूर्ण कराना एवं विवादित/बन्द पडे आवासों की लाभार्थीवार सूचना के साथ प्रकरण विभाग को प्रेषित करावें। साथ ही निरीक्षण उपरान्त भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन प्रकरणों का PFMS के माध्यम से भुगतान करावें।

उल्लेखनीय है कि उक्त बिन्दु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में भी अंको के निर्धारण हेतु सम्मिलित किया गया है। अतः आपसे अपेक्षा है कि राज्य एवं जिले की रैंकिंग में सुधार हेतु उक्तानुसार कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराएंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार जिलेवार रिपोर्ट।

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र) समस्त राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (गो एण्ड मू) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

PMAY-G Progress 2016-17 +17-18

08-05-2018

SNo	District	Sanctions	Complete	Incomplete	Monthwise Target for Completion		
					May 18	June 18	July 18
1	AJMER	6026	5008	1018	305	407	306
2	ALWAR	3886	1859	2027	608	811	608
3	BANSWARA	67528	62200	5328	1598	2131	1599
4	BARAN	12077	8702	3375	1013	1350	1012
5	BARMER	31890	11106	20784	6235	8314	6235
6	BHARATPUR	5056	2283	2773	832	1109	832
7	BHILWARA	15365	11484	3881	1164	1552	1165
8	BIKANER	13967	9597	4370	1311	1748	1311
9	BUNDI	13465	6669	6796	2039	2718	2039
10	CHITTORGARH	11648	8339	3309	993	1324	992
11	CHURU	6375	3804	2571	771	1028	772
12	DAUSA	8177	3436	4741	1422	1896	1423
13	DHOLPUR	4637	2814	1823	547	729	547
14	DUNGARPUR	34251	20761	13490	4047	5396	4047
15	HANUMANGARH	8467	8075	392	118	157	117
16	JAIPUR	5436	2805	2631	789	1052	790
17	JAISALMER	6155	3793	2362	709	945	708
18	JALORE	19494	11198	8296	2489	3318	2489
19	JHALAWAR	14996	9129	5867	1760	2347	1760
20	JHUNJHUNU	958	699	259	78	104	77
21	JODHPUR	20366	12853	7513	2254	3005	2254
22	KARAULI	10105	1570	8535	2561	3414	2560
23	KOTA	7772	4730	3042	913	1217	912
24	NAGAUR	11230	10511	719	216	288	215
25	PALI	14326	11460	2866	860	1146	860
26	PRATAPGARH	18932	6964	11968	3590	4787	3591
27	RAJSAMAND	6849	2612	4237	1271	1695	1271
28	SAWAI MADHOPUR	8059	3697	4362	1309	1745	1308
29	SIKAR	1579	1056	523	157	209	157
30	SIROHI	13869	7107	6762	2029	2705	2028
31	SRI GANGANAGAR	13253	12245	1008	302	403	303
32	TONK	9210	4295	4915	1475	1966	1474
33	UDAIPUR	47311	29855	17456	5237	6982	5237
	Total	472715	302716	169999	51002	67998	50999

PMAY-G 18-19 dated 8thMay2018							
SNo	District Name	Target	Sanctions	July	August	Sepetember	October
1	AJMER	3586	3489	718	1076	897	895
2	ALWAR	2903	339	580	871	726	726
3	BANSWARA	5180	4542	1036	1554	1295	1295
4	BARAN	3923	2589	784	1177	981	981
5	BARMER	20393	4416	4078	6118	5098	5099
6	BHARATPUR	1203	380	240	361	301	301
7	BHILWARA	3659	3697	732	1098	915	914
8	BIKANER	5367	623	1074	1610	1342	1341
9	BUNDI	3459	2556	692	1038	865	864
10	CHITTORGARH	1478	1000	296	443	370	369
11	CHURU	5060	663	1012	1518	1265	1265
12	DAUSA	0	0	0	0	0	0
13	DHOLPUR	0	0	0	0	0	0
14	DUNGARPUR	15710	11780	3142	4713	3928	3927
15	HANUMANGARH	2973	2881	594	892	743	744
16	JAIPUR	2842	1622	568	853	711	710
17	JAISALMER	4760	978	952	1428	1190	1190
18	JALORE	4927	2504	986	1478	1232	1231
19	JHALAWAR	4510	2703	902	1353	1128	1127
20	JHUNJHUNU	0	0	0	0	0	0
21	JODHPUR	4717	873	944	1415	1179	1179
22	KARAULI	1309	280	262	393	327	327
23	KOTA	1773	811	354	532	443	444
24	NAGAUR	2869	1772	574	861	717	717
25	PALI	284	284	56	85	71	72
26	PRATAPGARH	7665	3239	1534	2300	1916	1915
27	RAJSAMAND	2007	837	402	602	502	501
28	SAWAI MADHOPUR	2164	501	432	649	541	542
29	SIKAR	637	359	128	191	159	159
30	SIROHI	1513	512	302	454	378	379
31	SRI GANGANAGAR	5360	4067	1072	1608	1340	1340
32	TONK	6853	1338	1370	2056	1713	1714
33	UDAIPUR	14120	3487	2824	4236	3530	3530
	Total	**143204**	**65122**	**28640**	**42963**	**35803**	**35798**

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (99)ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/S-N/SECC/2017–18 दिनांक 22 मई, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद(ग्रा.वि.प्र.),
समस्त, राजस्थान।

विषय :– SECC-2011 के डाटा की ग्राम पंचायतवार Remapping के क्रम में।
सन्दर्भः– विभागीय पत्रांक एफ 27(45)ग्राविवि–5/पीएमएवाई–जी/एम–I/बैठक/2017–18 जयपुर दिनांक 17.05.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा माननीय मंत्री ग्रावि एवं परावि की अध्यक्षता तथा संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में दिनांक 15.05.2018 को इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना में SECC Data Remapping के क्रम में वर्तमान मे प्रदर्शित राजस्व ग्राम की ग्राम पंचायत एवं जिस ग्राम पंचायत में Data Remap किया जाना है, दोनों ही ग्राम पंचायतों की विशेष ग्राम सभा आयोजित कर Data Remapping के अनुसार अंतिम PWL का अनुमोदन कराकर ग्राम सभा रिजोल्यूशन के साथ प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त की अनुपालना में जारी ग्राम सभाओं की दिनांक, संख्या एवं ग्राम सभा कार्यवाही विवरण से शासन को अवगत कराने का श्रम करे। जिससे रिमैपिंग का कार्य पूर्ण करवाया जा सके।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं परावि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. श्री पी.के. मित्तल, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. श्री गया प्रसाद, निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एण्ड मू) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

URGENT
PMAY-5

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(48) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-1/जिला/2017–18 जयपुर, दिनांक 17 मई, 2018

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के सम्बन्ध में।
प्रसंग :– विभागीय बैठक सूचना दिनांक 09.05.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक बैठक सूचना के क्रम में माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एवं संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की समीक्षा दिनांक 15.05.2018 को की गई, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार एवं लक्ष्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों की वरीयता सूची (PWL) आवाससॉफ्ट पर उपलब्ध है एवं वर्ष 2022 तक सभी को आवास दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। उक्त के क्रम में पूर्व निर्देशानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी पात्र लाभार्थियों के पंजीयन सुनिश्चित किये जावें। इस क्रम में निर्देश दिये गये कि वर्ष 2018–19 तक राज्य को 6.17 लाख के लक्ष्य आवंटित किये गये थे, बैठक के दौरान ही संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि 70,000 के अतिरिक्त लक्ष्य राज्य को आवंटित किये गये है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के ध्यान में लाया गया कि राज्य द्वारा 2 लाख के अतिरिक्त लक्ष्यों के प्रस्ताव के मद्देनजर शेष 1.30 लाख लक्ष्य भी आवंटित किये जावें। इस हेतु सभी जिलों को निर्देश है कि राज्य को अब तक प्राप्त एवं 1.30 लाख के प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लक्ष्यों को जोडकर कुल लक्ष्य के बराबर समस्त जिलों द्वारा पंजीकरण इसी माह सुनिश्चित किया जावें। साथ ही अबतक चूरू, अलवर, जैसलमेर, राजसमन्द, बीकानेर एवं करौली जिलों द्वारा पूर्व में प्राप्त लक्ष्यों के विरूद्ध शतप्रतिशत पंजीकरण नहीं किये जाने की प्रगति पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा असंतोष प्रकट किया गया।
2. योजना के अन्तर्गत स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त राशि रुपये 30,000 पीएफएमएस के माध्यम से हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश है। राज्य की वर्ष 2016–17 व 2017–18 की प्रगति 99 प्रतिशत (473887 स्वीकृत आवासों में से 469857 को प्रथम किश्त जारी की गई) है। जिसे शत प्रतिशत किया जावें।
3. राज्य में वर्ष 2016–17 एवं 2017–8 के लक्ष्य 473887 के विरूद्ध 305915 आवास ही पूर्ण हुए है, जबकि यह सभी आवास माह मार्च, 2018 तक पूर्ण कराने के निर्देश है, इस क्रम में विभागीय पत्र दिनांक 08 मई, 2018 द्वारा माह जुलाई, 2018 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावें। उल्लेखनीय है कि राज्य में 28586 लाभार्थियों का द्वितीय किश्त हेतु निरीक्षण, 137617 लाभार्थियों का तृतीय किश्त हेतु निरीक्षण बकाया है। अतः उक्त बकाया द्वितीय एवं तृतीय किश्त के निरीक्षण न्याय आपके द्वार अभियान–2018 के दौरान पूर्ण करवाये जाने हेतु कार्ययोजना बनाकर ग्राम पंचायतवार लक्ष्य आवंटित किये जावें।
4. संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के अन्तर्गत 8 पैरामीटर के अधार पर राष्ट्रीय स्तर पर समग्र प्रगति का आंकलन कर पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर की रैंक, गणना उपरान्त निर्धारित की जाती है। यह दैनिक आधार पर अद्यतन की जा रही है। इस क्रम में पूर्व में भी सभी जिलों को विभागीय पत्र दिनांक 01 जनवरी, 2018 द्वारा अवगत कराया जा चुका है एवं समय–समय पर विभिन्न जिलों की रैंकिंग के क्रम में जिलों से सुधार हेतु पिछड़ रहे पैरामीटरों में सुधार हेतु निर्देशित किया गया है। अतः आप अपने जिले के सम्बन्धित अधिकारियों को जिला/ब्लॉक व ग्राम पंचायत की रैंकिंग का यथोचित उपयोग कर आवश्यक सुधार हेतु निर्देशित करावें।

5. 31 मार्च 2015 को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/ जिला स्तर पर सम्बन्धित खातें को बन्द कर राशि SNA में हस्तान्तरित हेतु जारी निर्देशों की पालना के क्रम में जिलों द्वारा अवगत कराया गया था कि जिलों द्वारा समस्त राशि SNA में हस्तान्तरित कर दी गई है एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत प्रशासनिक मद के खाते के रूप में जिला/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर एक–एक खाता ही संधारित किया जाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सूचना अनुसार राज्य के 14 जिलों द्वारा योजनान्तर्गत दो–दो खाते संधारित किये जा रहे है, जो कि एक गंभीर अनियमितता है। इस क्रम में निर्देश है कि 3 दिवस में योजनान्तर्गत केवल एक खाते के अतिरिक्त अन्य खातों को बन्द कराया जाना एवं प्रशासनिक मद के अतिरिक्त अन्य अवशेष राशि को राज्य स्तरीय नोडल खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करावें।
6. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की समस्त योजनाओं के क्रम में ग्राम संवाद एप उपलब्ध है, जो जन साधारण हेतु भी उपलब्ध है, जिसका प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जावे।
7. विभागीय पत्र दिनांक 21.03.2018 के क्रम में संपादित ग्राम सभाओं से अनुमोदित नये पात्र लाभार्थियों से सम्बन्धित विभिन्न जानकारियां एवं जिओं टैगिंग हेतु विकसित Aawas+app के बारे में सभी आवास प्रभारियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। अतः निर्धारित तिथि 05.06.2018 तक समस्त कार्यवाही पूर्ण की जावें।
8. आवासों के गुणवत्तापूर्ण पूर्ण कराने हेतु निर्देश देते हुए पूर्ण आवासों की HD फोटो ही आवाससॉफ्ट पर अपलोड की जावें।
9. विभिन्न जिलों से सम्बन्धित ऑडिट पैरा की पालना भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
10. न्याय आपके द्वार 2018 के दौरान सभी भूमिहीन पात्र परिवारों को अनिवार्य रूप से नियमानुसार आवासीय भू–खण्ड आवंटित कराया जावें।
11. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाल ही में निर्धारित अवधि उपरान्त अधूरे रहे आवासों की किश्तों का भुगतान रोका गया था, के क्रम में देरी के कारणों को आवासएप पर अंकित कर भुगतान स्वीकृति प्राप्त करने एवं भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो, को सुनिश्चित करने हेतु किश्त हस्तान्तरण के 90 दिवस में अगली किश्त हस्तान्तरित सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
12. इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने एवं निरीक्षण उपरान्त भुगतान हेतु लम्बित 20834 आवासों की किश्त तीन दिवस में जारी की जावे।
13. SECC Data Remapping के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि वर्तमान में प्रदर्शित एवं जिस ग्राम पंचायत में Data Remapping किया जाना है, दोनों ही ग्राम पंचायत की विशेष ग्राम सभा आयोजित कर Data Remapping के अनुसार अंतिम PWL का अनुमोदन कराकर ग्राम सभा Resolution के साथ प्रस्ताव भिजवाये जावें।

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (99)ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/S-N/SECC/2017–18 दिनांक २८ मई, 2018

जिला कलक्टर,
समस्त।

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत मासिक लक्ष्यों के विरूद्ध धीमी प्रगति के क्रम में।
प्रसंग :– विभागीय संमसंख्यक पत्र दिनांक 08.05.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के लक्ष्यों की शत प्रतिशत स्वीकृतियां व प्रथम किश्त दिनांक 31.05.2018 तक जारी करने एवं वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में स्वीकृत अपूर्ण/प्रगतिरत 1,69,999 आवासों को माह जुलाई, 2018 तक पूर्ण करने हेतु माहवार लक्ष्य आवंटित किये गये थे।

उक्त आवंटित लक्ष्यों की जिलेवार प्रगति की समीक्षा में पाया गया है कि माह मई, 2018 में 51002 आवास वर्ष 2016–17 व 2017–18 में से पूर्ण कराने के लक्ष्य आवंटन के विरूद्ध राज्य की प्रगति 22.64 प्रतिशत है, इसी प्रकार वर्ष 2018–19 की माह मई में शत प्रतिशत स्वीकृतियां जारी कर प्रथम किश्त हस्तान्तरण के लक्ष्य के विरूद्ध 84030 प्रगति अर्जित की गई है, जो 58.68 प्रतिशत है एवं इनमें से मात्र 47063 को प्रथम किश्त हस्तान्तरण किया गया है, जो कि 32.86 प्रतिशत है। उक्त प्रगति से स्पष्ट है कि योजना की प्रगति असंतोषजनक है एवं जिला स्तर से प्रभावी पर्यवेक्षण नहीं किया जा रहा है।

अतः निर्देश है कि आप अपने स्तर से योजना की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यकता अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करें :–

1. न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान नामित जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 के शत प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त हस्तान्तरण एवं वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के लाभार्थियों लक्ष्यानुसार पूर्ण निरीक्षण की समीक्षा हेतु निर्देशित करावें। इस हेतु अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायतवार लक्ष्यों की तालिका तैयार करवाकर अभियान में भाग ले रहे अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
2. न्याय आपके द्वार अभियान की प्रगति की समीक्षा के दौरान ध्यान में लाया गया है कि राज्य की सम्पूर्ण प्रगति जो 01 मई, 2018 से आदिनांक हुई है से अधिक प्रगति अभियान के पोर्टल पर अंकित की जा रही है। यह भी एक गम्भीर लापरवाही है। इसकी भी समीक्षा की जावें।
3. वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में स्वीकृत आवासों में से 26,722 आवासों को द्वितीय किश्त के भुगतान हेतु बकाया निरीक्षण की भी समीक्षा की जावें। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित अवधि एक वर्ष में आवास पूर्ण नहीं होने पर भुगतान पर रोक लगा दी गयी है। अतः इस परिस्थिति से बचने के लिए समय पर आवासों का नियमित व सघन निरीक्षण सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
4. योजना की प्रगति की पंचायत समितिवार, ग्राम पंचायतों के समूह पर नामित आवास प्रभारी वार व ग्राम विकास अधिकारीवार नियमित समीक्षा की जाकर कियान्वयन में लापरवाही के दोषी कार्मिकों/अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें।

उल्लेखनीय है कि माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि की अध्यक्षता में संयुक्त सचिव (ग्रा. आ.), ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक 15.05.2018 को प्रगति की समीक्षा दौरान योजनान्तर्गत लक्ष्यों के सापेक्ष पंजीकरण, स्वीकृति एवं स्वीकृत आवासों की प्रथम किश्त हस्तान्तरण कम होने के प्रति असंतोष जाहिर किया है। विशेष उल्लेख है कि योजना के प्रावधानुसार सभी पात्र लाभार्थियों का पंजीयन, जीओं टैंगिग बैंक खाता सत्यापन आदि के कार्य हेतु लक्ष्य की सीमा नहीं है।

अतः सभी पात्र परिवारों हेतु उपर्युक्त कार्यवाही सम्पादित की जावें, जिससे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त लक्ष्य के सम्भावित आवंटन के क्रम में लक्ष्यानुसार समय पर स्वीकृतियां जारी कराकर आवास पूर्ण कराये जा सके।

सलग्नः उपरोक्तानुसार

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

District Wise Balance Inspection for 2nd Installment

S No	District Name	2016-17	2017-17	Total
1	AJMER	**81**	138	**219**
2	ALWAR	18	141	**159**
3	BANSWARA	212	316	**528**
4	BARAN	110	280	**390**
5	BARMER	376	2132	**2508**
6	BHARATPUR	16	153	**169**
7	BHILWARA	218	451	**669**
8	BIKANER	163	744	**907**
9	BUNDI	152	669	**821**
10	CHITTORGARH	267	167	**434**
11	CHURU	25	490	**515**
12	DAUSA	47	677	**724**
13	DHOLPUR	29	186	**215**
14	DUNGARPUR	572	1702	**2274**
15	HANUMANGARH	42	52	**94**
16	JAIPUR	120	286	**406**
17	JAISALMER	34	237	**271**
18	JALORE	423	672	**1095**
19	JHALAWAR	214	591	**805**
20	JHUNJHUNU	19	47	**66**
21	JODHPUR	356	763	**1119**
22	KARAULI	494	2972	**3466**
23	KOTA	113	138	**251**
24	NAGAUR	37	127	**164**
25	PALI	431	154	**585**
26	PRATAPGARH	161	1394	**1555**
27	RAJSAMAND	58	473	**531**
28	SAWAI MADHOPUR	87	649	**736**
29	SIKAR	16	53	**69**
30	SIROHI	73	724	**797**
31	SRI GANGANAGAR	49	126	**175**
32	TONK	210	443	**653**
33	UDAIPUR	465	2887	**3352**
	Total	**5688**	**21034**	**26722**

PMAY-G TARGET FOR COMPLETION

SNo	District	Year 2016-17 +17-18				Year 2018-19				
		Incomplete	Monthwise Target for Completion			Monthwise Target for Completion				
			May 18	June 18	July 18	Target	July	August	Sepetember	October
1	AJMER	1018	305	407	306	3586	718	1076	897	895
2	ALWAR	2027	608	811	608	2903	580	871	726	726
3	BANSWARA	5328	1598	2131	1599	5180	1036	1554	1295	1295
4	BARAN	3375	1013	1350	1012	3923	784	1177	981	981
5	BARMER	20784	6235	8314	6235	20393	4078	6118	5098	5099
6	BHARATPUR	2773	832	1109	832	1203	240	361	301	301
7	BHILWARA	3881	1164	1552	1165	3659	732	1098	915	914
8	BIKANER	4370	1311	1748	1311	5367	1074	1610	1342	1341
9	BUNDI	6796	2039	2718	2039	3459	692	1038	865	864
10	CHITTORGARH	3309	993	1324	992	1478	296	443	370	369
11	CHURU	2571	771	1028	772	5060	1012	1518	1265	1265
12	DAUSA	4741	1422	1896	1423	0	0	0	0	0
13	DHOLPUR	1823	547	729	547	0	0	0	0	0
14	DUNGARPUR	13490	4047	5396	4047	15710	3142	4713	3928	3927
15	HANUMANGARH	392	118	157	117	2973	594	892	743	744
16	JAIPUR	2631	789	1052	790	2842	568	853	711	710
17	JAISALMER	2362	709	945	708	4760	952	1428	1190	1190
18	JALORE	8296	2489	3318	2489	4927	986	1478	1232	1231
19	JHALAWAR	5867	1760	2347	1760	4510	902	1353	1128	1127
20	JHUNJHUNU	259	78	104	77	0	0	0	0	0
21	JODHPUR	7513	2254	3005	2254	4717	944	1415	1179	1179
22	KARAULI	8535	2561	3414	2560	1309	262	393	327	327
23	KOTA	3042	913	1217	912	1773	354	532	443	444
24	NAGAUR	719	216	288	215	2869	574	861	717	717
25	PALI	2866	860	1146	860	284	56	85	71	72
26	PRATAPGARH	11968	3590	4787	3591	7665	1534	2300	1916	1915
27	RAJSAMAND	4237	1271	1695	1271	2007	402	602	502	501
28	SAWAI MADHOPUR	4362	1309	1745	1308	2164	432	649	541	542
29	SIKAR	523	157	209	157	637	128	191	159	159
30	SIROHI	6762	2029	2705	2028	1518	302	454	378	379
31	SRI GANGANAGAR	1008	302	403	303	5360	1072	1608	1340	1340
32	TONK	4915	1475	1966	1474	6853	1370	2056	1713	1714
33	UDAIPUR	17456	5237	6982	5237	14120	2824	4236	3530	3530
	Total	169999	51002	67998	50999	143204	28640	42963	35803	35798

Mail
30/05/18
04:07 P.M

14057-URGENT

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(26)ग्राविवि–5/सां./PMAY-G/विविध–1/2018–19 जयपुर, दिनांक 30 मई, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद (ग्राविप्र),
समस्त, राजस्थान।

विषय :–Completion of pending Indira Awaas Yojana (IAY) houses and closure of the scheme-Reg.

प्रसंग :–निदेशक (ग्रामीण आवास) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण आवास (लेखा) अनुभाग के पत्र क्रमांकः M-13015/03/2017-RH (A/C) दिनांक 28 मई 2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के साथ संलग्न प्रपत्रानुसार सूचना तैयार कर तीन दिवस में हार्ड एव सॉफ्ट कापी मे मेल आई. डी pdengg_rdd@yahoo.com पर भिजवाने का श्रम करावे, ताकि प्राप्त सूचना को इकजाई कर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को दिनांक 05.06.2018 तक भिजवायी जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

30/5/18
(के.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियंता (ग्रावि)

प्रतिलिपि :–
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

d:\S d drive\parags\ghanshyam\letter.docx

F. No. M-13015/03/2017-RH(A/C)
भारत सरकार / Government of India
ग्रामीण विकास मंत्रालय / Ministry of Rural Development
ग्रामीण आवास (लेखा) अनुभाग / Rural Housing (Accounts) Section
****

Krishi Bhawan, New Delhi
Date: 28th May, 2018

To,

The Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary
Department of Rural Development,
(dealing with Rural Housing scheme - PMAY-G)
All the State/UTs

Subject: Completion of pending Indira Awaas Yojana (IAY) houses and closure of the scheme–Reg.

Sir/Madam

I am directed to refer to the subject mentioned above and to say that the erstwhile rural housing scheme Indira Awaas Yojana (IAY) has been restructured into Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G) from 1st April, 2016. Accordingly, it is important that IAY accounts are settled and it is brought to a closure. A letter of even no. dated 22.01.2018 was also sent in this regard requesting that the IAY houses may be completed by 31st March, 2018.

2. It is proposed to hold a meeting under the chairmanship of Secretary, Rural Development, Government of India in the third week of June, 2018 to discuss and decide about settlement of IAY and closure of the scheme. To have a fruitful discussion it is important that information on IAY on the points shown in Annexure may be sent to the Ministry by 5th of June, 2018.

3. The date and the venue of the meeting will be intimated separately.

Yours faithfully
Behera
(B.C.Behera)
Director (Rural Housing)

Annexure

Information on Indira Awaas Yojana (IAY) houses as on 31st March, 2018

Name of the State -
Number of incomplete houses as on 1st April, 2017 -
Number of houses completed during 2017-18 -
Number of incomplete houses as on 31.3.2018 -

Details of incomplete houses as on 31.3.2018 -

i. No. of beneficiaries who were not given even the 1st installment (year-wise, if possible)-
ii. No. of beneficiaries who received installments but have refunded the amount (year-wise, if possible)-
iii. Beneficiaries who died without any legal heir -
   a. No. of beneficiaries (year-wise, if possible)
   b. Amount released to these beneficiaries
iv. Beneficiaries who migrated permanently -
   a. No. of beneficiaries (year-wise, if possible)
   b. Amount released to these beneficiaries
v. No. of beneficiaries against whom recovery process started / FIR lodged etc. -
   a. No. of beneficiaries (year-wise, if possible)
   b. Amount released to these beneficiaries
vi. Beneficiaries who can complete their houses with the help of additional monetary help from the State Govt
   a. No. of beneficiaries (year-wise, if possible)
   b. Amount required
vii. IAY Houses completed for which PMAY-G funds were used
   a. No. of beneficiaries (year-wise, if possible)
   b. Amount utilized

Based on the above, number of houses that can never be completed (year-wise, if possible) - ..... and the amount involved is .....

Signature .....
Addl. Chief Secretary / Principal Secy / Secretary
Department of Rural Development
Government of .....
Dated .....